ए.

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.

श्यामा नंदन मिश्रा (2014 की सिविल अपील No.7364) 05 मई, 2022

बी.

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981।9, 15 – बिहार माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) नियम, 1983-बिहार सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2009-बिहार शिक्षा संहिता-अनुच्छेद 790-उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि सरकारी और राष्ट्रीयकृत (अधिग्रहित) माध्यमिक विद्यालय दोनों में + 2 व्याख्याताओं की नियुक्ति अधिवक्ता के अनुसार की जाती है।नहीं। 1/87, वे हमेशा बिहार अधीनस्थ शिक्षा सेवा (बी. एस. ई. एस.) का हिस्सा रहे हैं और सरकारी निर्णय दिनांक 07.07.2006 के अनुसार बिहार शिक्षा सेवा वर्ग II (बी. ई. एस.) के साथ विलय के हकदार हैं-इसने दिनांक 23.06.2009 की विवादित अधिसूचना में भी हस्तक्षेप किया, जिसमें राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के साथ + 2 व्याख्याताओं को शामिल करने का अपास्त करना गया था, जो बिहार शिक्षा संहिता के Art.790 के उल्लंघन में पाया गया था और सरकार के निर्णय दिनांक 07.07.2006 और अधिवक्ता संख्या के विपरीत भी था।+2 बी. एस. ई. एस. संवर्ग में व्याख्याताओं के पद सृजित किए गए थे-इसका प्रतिनिधित्व दिनांक 13.11.1985 की अधिसूचना में किया गया था, और अधिवक्ता संख्या 1/87 में भी किया गया था-माध्यमिक विद्यालयों में बी. एस. ई. एस. शिक्षकों के साथ वेतनमान समानता प्रदान करने में सरकार का आचरण, इस निष्कर्ष को मजबूत करता है-ये प्रासंगिक और उपस्थित परिस्थितियां नियुक्ति पत्रों में पूर्व-संवर्ग संदर्भ के प्रभाव को ग्रहण करती हैं-23.06.2009 की अधिसूचना के माध्यम से एनकैडरमेंट ने उत्तरदाताओं की वैध अपेक्षाओं को निराश कर दिया है और उत्तरदाताओं की प्रमुख पदों पर पदोन्नति को अवरुद्ध करने के अनुचित उद्देश्य से किया गया है, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के प्रशासनिक विंग में-राज्य की कार्रवाई में इस तरह की अनुचितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-+ 2 व्याख्याता वास्तव में इसके सदस्य हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1136

1137

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा ए

विज्ञापन सं. 1/87 अधीनस्थ शैक्षिक सेवा के सदस्यों के रूप में और अधीनस्थ शैक्षिक सेवा के सदस्यों के रूप में सभी सेवा लाभ उन्हें दिए जाने चाहिए-विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं-सेवा कानून। सिद्धांत/सिद्धांत-वैध अपेक्षा का सिद्धांत-चर्चा की गई।

बी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** दिनांक **1** की अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** के संवर्ग में **(**सरकारी विद्यालयों में**) + 2** व्याख्याताओं के पद सृजित किए गए थे। **940-1660-**।राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में तैनात **+ 2** व्याख्याताओं के लिए संवर्ग उसमें निर्दिष्ट नहीं किया गया था**,** हालांकि पद एक ही वेतनमान में बनाए गए थे।बाद के विज्ञापन संख्या **1/87** में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में **+ 2** व्याख्याताओं के लिए आवेदन बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** संवर्ग में रु। **940-1660/-**।जिन लोगों का चयन किया गया उन्हें सरकारी या राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में आकस्मिक नियुक्ति दी गई।यह कि बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** संवर्ग में पदों का गठन किया गया था**,** न्यायमूर्ति एस**.** जे**.** मुखोपाध्याय द्वारा सी**.** डब्ल्यू**.** जे**.** सी**.** सं**. <**आई**.** डी**. 2** में दिनांकित **30.09.1997** के फैसले में पर्याप्त रूप से प्रबलित किया गया है**,** जिसके माध्यम से**, + 2** व्याख्याताओं की दोनों श्रेणियों **(**या तो सरकारी या अधिगृहीत स्कूलों में तैनात**)** में कृत्रिम भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था।यह एक तथ्य है कि बिहार प्रदेश **+ 2** व्याख्याता संघ ने मुख्य रूप से सरकार में नियुक्त **+ 2** व्याख्याताओं के वेतनमान विसंगति के निवारण के लिए न्यायालय का रुख किया और सामान्य विज्ञापन संख्या **1/87** से स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया।उन कार्यवाहियों में यह अनुमान लगाया गया था कि **5** वीं वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए**,** राज्य सरकार ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत व्याख्याताओं को अलग**-**अलग वेतनमान प्रदान किए।न्यायालय ने दोनों प्रकार के व्याख्याताओं के बीच भेदभाव को देखा**,** जो समान प्रकार की नौकरी और समान योग्यता के साथ समान कर्तव्य का पालन कर रहे थे।तदनुसार **+ 2** व्याख्याताओं को समान वेतनमान का हकदार ठहराया गया

था, अर्थात रु। **2000-3500/-** जैसा कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा **(**कनिष्ठ चयन श्रेणी**)** के सदस्यों के लिए निर्धारित किया गया है।इस तरह, न केवल वेतन अंतर को समाप्त कर दिया गया था, बल्कि इस मामले के लिए अधिक महत्वपूर्ण रूप से, सरकार में सेवारत व्याख्याता /

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

राष्ट्रीयकृत **+ 2** विद्यालयों को बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** सदस्यों के समान वेतनमान प्रदान करके बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** संवर्ग के सदस्यों के समकक्ष माना गया।इसके बाद, फैसले के अनुपालन में, वित्त विभाग ने रुपये के सामान्य वेतनमान को अधिसूचित किया। **2000-3500/-** स्वीकृत विद्यालयों में **+ 2** व्याख्याताओं के लिए इसके संकल्प दिनांक **10.06.1999** के अनुसार, जिससे उन्हें प्रभावी रूप से अधीनस्थ शिक्षा सेवा शिक्षकों के बराबर माना जाता है।**[**पैरा **20,21] [1150-**बी**-**जी**]**

बी.

1.2 उपरोक्त स्थिति राज्य के इस तर्क को नकार देगी कि **+ 2** व्याख्याता बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** संवर्ग से बाहर हैं, केवल इसलिए कि नियुक्ति पत्रों में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति अस्थायी आधार पर पूर्व संवर्ग के पदों के खिलाफ थी।उल्लेखनीय है कि नियुक्ति आदेश में उल्लिखित वेतनमान रु। **940-1660-,** जो बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** के कनिष्ठ चयन ग्रेड में व्याख्याताओं को दिए जाने वाले वेतनमान से मेल खाता है **(**जैसा कि अधिसूचना दिनांक **13.11.1985** और विज्ञापन संख्या **1/87** में परिलक्षित होता है**)**।नियुक्ति पत्र अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भिन्न है, जैसे कि विज्ञापन**;** बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** में पदों का सृजन करने वाली अधिसूचना **(13.11.1985);** साथ ही वित्त विभाग की अधिसूचनाएं, जो बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** के सदस्यों के बराबर वेतनमान की पेशकश करती हैं। नियुक्ति पत्र, पद को पूर्व**-**संवर्ग श्रेणी का होने का सुझाव देने के बावजूद, विशेष रूप से बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** संवर्ग में सरकारी स्कूल के व्याख्याताओं के लिए समान वेतनमान की पेशकश करते थे।**[**पारस **22,23] [1150-**एच**; 1151-**ए**-**डी**]**

सी.

डी.

ई.

1.3 राज्य के वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि सरन सिंह समिति की सिफारिशों को उत्तरदाताओं पर लागू नहीं किया जा सकता है**,** क्योंकि **+ 2** व्याख्याताओं के पद **1977** में अस्तित्व में नहीं थे और केवल **1985** में बनाए गए थे।इस पर**,** यह देखा जाता है कि सरकार **1977** में मौजूद कुल पदों पर अस्पष्ट है**;** बाद में कितने पद बनाए गए और **07.07.2006** पर मौजूद पदों की सटीक संख्या।इसलिए**,** राज्य को इस तरह के विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब वे यह खुलासा करने में विफल रहे हैं कि शुरू में कितने पद मौजूद थे और किन चरणों में सरकार द्वारा अतिरिक्त पद बनाए गए थे।इसके अलावा**,** विलय निर्णय **(07.07.2006)** में विशेष रूप से यह कहने को छोड़ दिया गया कि केवल **1977** में मौजूद पदों का विलय करने का इरादा था।इसके अलावा**,** ए

एफ.

जी.

एच.

1139

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा ए

सरकारी निर्णय **(06.10.2006),** जिसके माध्यम से **+ 2** व्याख्याताओं को **BES** के साथ विलय के लाभ से वंचित कर दिया गया था**,** इस आधार पर स्थापित नहीं किया गया था कि **1977** में **+ 2** व्याख्याताओं के पद नहीं थे।जाहिरा तौर पर इसका कारण यह था कि बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** में **+ 2** व्याख्याताओं को कभी मान्यता नहीं दी गई। सरकार द्वारा कारणों के पूरक के लिए इस तरह के प्रयास**,** जो उनके आदेश में नहीं पाए गए हैं**,** को कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस तरह की स्थिति में**,** मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त**,** नई दिल्ली का अनुपात याद रखने योग्य है जहां न्यायालय ने इतनी सही घोषणा की कि एक वैधानिक पदाधिकारी द्वारा एक आदेश की वैधता को उसमें उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और शपथ पत्र के रूप में पूरक कारणों को बाहर रखा जाना चाहिए।राज्य को अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए**,** जब वे सरकारी निर्णय में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट होते हैं।**[**पारस **24-26] [1151-E-H; 1152-A-B]**

बी.

सी.

मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त,

नई दिल्ली 1978 (1) एस. सी. सी. 405:[1978] 2 एससीआर 272;

डी.

कॉम.पुलिस, बॉम्बे बनाम गोरधनदास भंजी एयर

1952 एससी **16:[1952]** एस. सी. आर. **135-**पर निर्भर।

1.4 सरकारी स्कूलों में तैनात बी. एस. ई. एस. माध्यमिक स्तर के शिक्षकों और **+ 2** व्याख्याताओं के बीच मनमाने वर्गीकरण को बनाए रखने के लिए राज्य के वकील द्वारा कोई स्पष्ट अंतर नहीं बताया जा सका।**[**पैरा **27] [1152-**एफ**]**

ई.

1.5 उल्लेखनीय है कि विज्ञापन **1/87** के अनुसार, न्यूनतम वेतनमान रु। बी. एस. ई. एस. संवर्ग के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को **850-1360/-** की पेशकश की गई थी, जबकि **+ 2** व्याख्याताओं को वेतनमान दिया गया था।इसके अलावा, **+ 2** व्याख्याताओं के लिए उसमें निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर थी, जबकि अन्य पदों के लिए, एक खाली स्नातक निर्धारित योग्यता को पूरा करेगा।इस प्रकार, बी. एस. ई. एस. कैडर से उत्तरदाताओं और परिणामस्वरूप बी. ई. एस. से, बी. एस. ई. एस. के शिक्षक सदस्यों के रूप में उन्हीं सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में निरंतर सेवा प्रदान करने के बावजूद, एक भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें, बी. एस. ई. एस. शिक्षक जो सरकारी माध्यमिक में उत्तरदाताओं से जूनियर **(**शिक्षा योग्यता और वेतनमान के मामले में**)** हैं।

एफ.

जी.

एच.

विद्यालयों को उच्च स्तर के वेतन का लाभ मिला है और शिक्षा विभाग में प्रमुख नियंत्रक पदों पर पदोन्नति के अवसर भी मिले हैं।यह निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद **14** और अनुच्छेद **16 (1)** के तहत गारंटीकृत **+ 2** व्याख्याताओं के अधिकारों का उल्लंघन करेगा।ऊपर देखी गई विसंगतिपूर्ण स्थिति को सुधारने के बजाय, सरकार ने मनमाने तरीके से और इस मुद्दे पर बिना किसी दिमाग के लागू किए, **23.06.2009** की अधिसूचना के माध्यम से, आश्चर्यजनक रूप से **+ 2** व्याख्याताओं को राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बराबर स्थान दिया।इसके लिए अस्वीकार्य औचित्य यह है कि राष्ट्रीयकृत स्कूल शिक्षकों के संवर्ग में **+ 2** व्याख्याताओं की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, **+ 2** व्याख्याताओं को

प्रधानाध्यापक के शैक्षणिक पदों के लिए पदोन्नति का अवसर प्रदान किया गया है, और उनके लिए उच्च स्तर का भी प्रावधान किया गया है।हालांकि, + 2 व्याख्याताओं को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो बीईएस संवर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है।बी. ई. एस. अधिकारियों को विशेष रूप से प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कब्जा करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार की इस तरह की मनमानी कार्रवाई पर ध्यान दिया गया और मुकदमेबाजी के पिछले दौर में अदालत की कठोर टिप्पणियों के अधीन किया गया। उन्हें पढ़ने के बाद और राज्य द्वारा बी. ई. एस. संवर्ग के लोगों का अत्यधिक समर्थन करने के बार-बार किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि राज्य सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है और उत्तरदाताओं को अस्वीकार करने के अपने अन्यायपूर्ण प्रयास में बनी हुई है, जो वैध रूप से उनके कारण है।[पारस 28,29] [1152-जी; 1153-ए-ई]

बी.

सी.

डी.

ई.

1.6 उनके अन्यायपूर्ण आचरण को इंगित करने के लिए राज्य की निम्नलिखित भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर ध्यान देना आवश्यक है।सबसे पहले, बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981, + 2 व्याख्याताओं की सेवा शर्तों के निर्धारण को अधिकृत नहीं करता है।1981 के अधिनियम का उद्देश्य बिहार राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सुधार, बेहतर संगठन और विकास के लिए राज्य नियंत्रण के तहत गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के "अधिग्रहण" का प्रावधान करना था।सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं को 'टेकन ओवर स्कूल्स' के शिक्षकों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि 1981 के अधिनियम में 'शिक्षक' की परिभाषा 'टेकन ओवर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक' को दर्शाती है।धारा 9 ए को सक्षम बनाती है

एफ.

जी.

एच.

1141

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा ए

राज्य सरकार केवल अधिग्रहित माध्यमिक विद्यालयों **(**लेकिन सरकारी विद्यालयों की नहीं**)** के प्रधानाध्यापक**,** शिक्षक और गैर**-**शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करेगी।**1981** के अधिनियम की न तो धारा **9** और न ही धारा **15** राज्य सरकार को अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन करने का अधिकार देती है। इस प्रकार**,** अधिसूचना **(23.06.2009)** को लागू करने वाले **2009** के नियम**,** जिन्हें **1981** के अधिनियम की धारा **15** सहपठित धारा **9** के तहत बनाया जाना है**, 1981** के अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्य से भिन्न पाए गए हैं। अधिसूचना **(23.06.2009) 1981** के अधिनियम के दायरे से बाहर है और इसलिए **1981** के अधिनियम में आवश्यक संशोधनों के बिना जारी नहीं की जा सकती थी। **[**पैरा **30] [1153-**एफ**-**एच**; 1154-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

1.7 अधिसूचना **(23.06.2009)** कानूनी रूप से असमर्थनीय होने के अलावा**,** बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** संवर्ग में सरकारी स्कूलों के सदस्यों के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा पोषित मूल वैध अपेक्षाओं को भी नकार देगी।शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शाखा में नियंत्रक/पर्यवेक्षी पदों पर उत्तरदाताओं के लिए पदोन्नति के अवसरों के अभाव में इनकार विशेष रूप से स्पष्ट है। उत्तरदाता**, + 2** व्याख्याताओं के रूप में अपनी सेवा के दौरान**,** सामान्य वरिष्ठता सूची में उनकी अंतर**-**वरिष्ठता के आधार पर विभाग में उच्च पद पर रहने की यथोचित उम्मीद करेंगे**,** लेकिन सरकार की कार्रवाई**,** राष्ट्रीयकृत स्कूलों के शिक्षकों के साथ **+ 2** व्याख्याताओं के कृत्रिम उप**-**समूह के माध्यम से आंदोलन को प्रतिबंधित करना**,** उनकी अपेक्षा को अनुचित रूप से गलत साबित कर रहा है।यह सुझाव देगा कि उत्तरदाताओं को अपीलार्थियों द्वारा बगीचे के रास्ते पर ले जाया गया था।**[**पैरा **31] [1154-**सी**-**ई**]**

डी.

ई.

एफ.

1.8 वर्तमान मामले में**,** राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के साथ **+ 2** व्याख्याताओं को शामिल करने के राज्य के असमान निर्णय में शक्ति का दुरुपयोग स्पष्ट है**, 1985** की अधिसूचना के माध्यम से विपरीत प्रतिनिधित्व के बावजूद**,** जिसने **+ 2** व्याख्याता पदों का निर्माण किया और **1987** के विज्ञापन के तहत**,** जिसके तहत उत्तरदाताओं ने सेवा में प्रवेश किया।प्रस्तावित मार्ग से इस तरह के स्पष्ट विचलन से मनमानेपन की गंध आती है और बीईएस कैडर के हितों की चुनिंदा रूप से रक्षा करने के लिए सरकारी कार्रवाई न्याय और निष्पक्ष खेल के नियमों के अनुरूप नहीं है।जहां मूल वैध अपेक्षा प्राधिकरण की शक्ति से परे नहीं है और न्यायालय इसकी रक्षा करने की स्थिति में है**,**

जी.

एच.

1142 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

राज्य को पाठ्यक्रम बदलने और उत्तरदाताओं की वैध अपेक्षाओं पर विश्वास करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जैसा कि सर्वविदित है, नियमितता, पूर्वानुमेयता, निश्चितता और निष्पक्षता सरकार की कार्रवाई के लिए आवश्यक सहवर्ती हैं और हमारी राय में बिहार सरकार विवादित निर्णय द्वारा अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने में विफल रही, जिसे हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से बाधित किया गया था।**[**पारस **33,34] [1154-**जी**-**एच**; 1155-**ए**-**डी**]**

बी.

आर बनाम उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण पूर्व पी।

कफलान, [2001] क्यू. बी. 212-संदर्भित।

1.9 पहले के दौर में, यह न्यायालय बिहार राज्य सरकार में थी। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ। बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ। और बिहार राज्य सरकार में उससे बहने वाली अवमानना कार्यवाही में भी। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ। बनाम अशोक कुमार सिन्हा ने बी**.** ई**.** एस**.** के साथ बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** के एकीकरण में बाधा डालने के बी**.** ई**.** एस**.** संघ के जोरदार प्रयासों और बी**.** ई**.** एस**.** संवर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने में बिहार सरकार के अनुचित आचरण का आलोचनात्मक रूप से उल्लेख किया।विलय के फैसले की उन पिछली चुनौतियों को न्यायालय ने खारिज कर दिया था।इस प्रकार बी**.** ई**.** एस**.** संघ को, पक्ष के रूप में, अब वह हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वे पिछले मुकदमों में हासिल करने में विफल रहे थे।इस तरह की परिस्थितियों में यह कहा जाना चाहिए कि एक प्रतिकूल मुकदमेबाजी में, बाड़ लगाने वालों को अग्रणी धावकों के बराबर नहीं रखा जा सकता है।**[**पैरा **36] [1156-**ए**-**सी**]**

सी.

डी.

ई.

1.10 बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** संवर्ग में **+ 2** व्याख्याताओं के पद बनाए गए थे।यह अधिसूचना **(13.11.1985)** में और विज्ञापन संख्या **1/87** में भी दर्शाया गया था।माध्यमिक विद्यालयों में बी**.** एस**.** ई**.** एस**.** शिक्षकों के साथ वेतनमान समानता प्रदान करने में सरकार का आचरण इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है।ये प्रासंगिक और उपस्थित परिस्थितियाँ नियुक्ति पत्रों में पूर्व**-**संवर्ग संदर्भ के निहितार्थ को ग्रहण करती हैं।यह भी स्पष्ट है कि दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से एनकैडरमेंट ने उत्तरदाताओं की वैध अपेक्षाओं को निराश कर दिया है और

उत्तरदाताओं की प्रमुख पदों पर पदोन्नति को अवरुद्ध करने के अनुचित उद्देश्य से किया गया था**,** विशेष रूप से शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शाखा में।राज्य की कार्रवाई में इस तरह की अनुचितता को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।परिणामस्वरूप ए

एफ.

जी.

एच.

1143

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा ए

हम **+ 2** व्याख्याताओं के पक्ष में विवादित निर्णय में तर्क और निष्कर्ष के साथ अपनी स्वीकृति दर्ज करते हैं कि वे वास्तव में अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्य हैं और राज्य सरकार को विज्ञापन संख्या **1/87** के अनुसार नियुक्त **+ 2** व्याख्याताओं को अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए और इसलिए अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्यों के रूप में सभी सेवा लाभ उन्हें दिए जाने चाहिए।**[**पैरा **37] [1156-**सी**-**एफ**]**

बी.

बिहार राज्य बनाम जनार्दन राय, (2012) 13 एससीसी 59; बिहार राज्य सरकार। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ। बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ। (2012) 13 एससीसी 33:

सी.

[2012] 11 एस. सी. आर. 50; बिहार राज्य सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा

(2014) 7 एससीसी **416:[2014] 7** एस**.** सी**.** आर**. 371-**संदर्भित।

बिहार शिक्षा सेवा संघ। बनाम बिहार राज्य, (2008)

1 बी**.** एल**.** जे**.** आर**. 431-**संदर्भित।

डी.

आर. वी. अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त, पूर्व पक्ष एम. एफ. के. अंडरराइटिंग एजेंट्स लिमिटेड। [1990] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1545 -

संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

ई.

[2012] 11 एससीआर **50**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2014] 7 एससीआर **371**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[1978] 2 एससीआर **272**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **25**

[1952] एससीआर **135**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **26**

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2014 की सिविल अपील No.7364।

2008 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.18793 में पटना में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 30.04.2013 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

जी.

2014 की सिविल अपील Nos.7371,7373,7365,7368 और 7374।पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिनव मुखर्जी, सुश्री प्रतिष्ठा विज, सुश्री बिहू शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एच.

विजय हंसारिया, वी. एन. सिन्हा, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्तागण , सुश्री शर्मिला उपाध्याय, अखिलेश कुमार पांडे, सुश्री शालिनी चंद्र, शांतनु सागर, गुंजेश रंजन, अनिल कुमार, सत्यजीत कुमार, सुश्री ग्वेन कार्तिका, सुश्री दिव्या रॉय, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

बी.

1. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया को सुना।इसके अलावा, श्री विनय नवारे और श्री वी. एन. सिन्हा को विद्वान , जो चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील थे।हस्तक्षेप करने वाले का प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया द्वारा विद्वान जाता है।

2. यहाँ चुनौती 2008 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. मामला संख्या 18793 में दिनांकित [आई. डी. 1] के फैसले और आदेश को दी गई है और इसी तरह के मामलों में पटना में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिकाकर्ताओं को राहत दी और घोषणा की कि विज्ञापन No.1/87 के अनुसार नियुक्त सरकारी और राष्ट्रीयकृत (अधिग्रहित) माध्यमिक विद्यालयों दोनों में + 2 व्याख्याता हमेशा बिहार का हिस्सा रहे हैं।

सी.

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (संक्षेप में "बी. एस. ई. एस".) और इस प्रकार, वे

डी.

दिनांक 07.07.2006 के सरकारी निर्णय के अनुसार, बिहार शिक्षा सेवा वर्ग II (संक्षेप में "BES") के साथ विलय के हकदार हैं।न्यायालय ने दिनांक 23.6.2009 की विवादित अधिसूचना में भी हस्तक्षेप किया, जिसमें राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में + 2 व्याख्याताओं को शिक्षकों के साथ संलग्न करने का प्रावधान किया गया था, जो बिहार शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 790 का उल्लंघन पाया गया था और यह सरकार के दिनांकित 07.07.2006 के निर्णय और विज्ञापन संख्या 1/87 के विपरीत भी था।इस प्रकार, 6.10.2006 दिनांकित आक्षेपित आदेश और 23.6.2009 दिनांकित अधिसूचना को रद्द कर दिया गया और अपास्त करना दिया गया।

ई.

3. शुरुआत में, प्रासंगिक पृष्ठभूमि और पिछले मुकदमेबाजी दौर पर ध्यान देना अनिवार्य है जिसके कारण वर्तमान कार्यवाही हुई।

एफ.

पृष्ठभूमि

4. बिहार सरकार ने बिहार सिविल सेवा में ठहराव आदि की समस्या का समाधान करने और पदोन्नति के अवसरों पर विचार करने के लिए 1976 में श्री सरन सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।बिहार शिक्षा विभाग के संबंध में समिति की सिफारिशों में बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में विविध संवर्ग के 59 पदों (जिनमें शिक्षक, प्रोफेसर आदि शामिल हैं, जिनके पास पदोन्नति की कोई निश्चित संभावना नहीं थी) का एकीकरण शामिल था।इन सिफारिशों के अनुरूप, सरकार ने ए के 2465 स्वीकृत पदों का उन्नयन करते हुए विनियमन दिनांक 11.04.1977 जारी किया।

जी.

एच.

1145

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा [हृषिकेश रॉय, जे।] ए.

अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष और महिला संवर्ग के शिक्षक

बिहार शिक्षा सेवा कक्षा II w.e.f01.01.1977।

5. बी. एस. ई. एस. के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें दिनांकित 11.04.1977 के प्रस्ताव के अनुसार बी. ई. एस. के साथ उनके कैडर के विलय का दावा किया गया।रिट याचिका को 02.02.2000 पर अनुमति दी गई और बाद के LPA और SLP को खारिज कर दिया गया।चूंकि विलय के परिणामी लाभ अभी भी आने वाले नहीं थे, इसलिए एक और रिट याचिका दायर की गई, जिसे भी एल. पी. ए. में अनुमति दी गई और पुष्टि की गई। इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील को 19.04.2006 1 पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं, यानी बी. एस. ई. एस. के सदस्यों के पक्ष में परिणाम तय किया गया था।

बी.

सी.

6. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में, दिनांक 2 का एक प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसके तहत बी. एस. ई. एस. (शिक्षण शाखा) (पुरुष और महिला शिक्षक) के संवर्ग का बी. ई. एस., कक्षा 2 डब्ल्यू. ई. एफ. के साथ विलय कर दिया गया था।इस स्तर पर, बी. ई. एस. एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी अंतर-वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, विलय को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 31.10.2007 2 पर डब्ल्यू. पी. को अनुमति दी।इस फैसले के तुरंत बाद, राज्य सरकार (एल. पी. ए. के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना) ने एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुपालन में, 19.11.2007 की अधिसूचना के माध्यम से विलय प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जिससे उससे होने वाले वित्तीय लाभ वापस ले लिए गए।

डी.

7. एकल न्यायाधीश के निर्णय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई।परिणामी एस. एल. पी. और उससे अपील को अंततः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2012 3 के एक विस्तृत निर्णय में अनुमति दी गई।नतीजतन, प्रारंभिक सरकारी निर्णय (07.07.2006), जिसके द्वारा बी. एस. ई. एस. शिक्षकों (शिक्षण शाखा) के कैडर को बी. ई. एस. के साथ विलय कर दिया गया था, बहाल हो गया और राज्य को तदनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया।इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, उच्चतम न्यायालय ने प्रासंगिक रूप से कहा कि एक बार जब विलय के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा मुकदमे के पहले दौर में पहले ही बरकरार रखा गया था और राज्य द्वारा भी कार्रवाई की गई थी, तो उच्च न्यायालय को बीईएस संघ के कहने पर मामले को फिर से नहीं खोलना चाहिए था।उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में सरकार के उतार-चढ़ाव वाले रुख और अनिर्णय को भी नाखुशी के साथ नोट किया।8. हालाँकि, सरकार पहले की स्थिति की बहाली के पहलू पर ढिलाई बरत रही थी, जिसके परिणामस्वरूप विलय हो गया था।

ई.

एफ.

जी.

1 बिहार राज्य बनाम जनार्दन राय (2012) 13 एस. सी. सी. 59

2 बिहार शिक्षा सेवा संघ। बनाम बिहार राज्य, (2008) 1 बीएलजेआर 431

3 बिहार राज्य सरकार। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ। बनाम बिहार शिक्षा सेवा

एच.

एस. एन., (2012) 13 एससीसी 33

दो कैडर।अंततः बिहार राज्य सरकार में बी. एस. ई. एस. के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई।

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा 4,

जिसमें इस न्यायालय को यह देखने का अवसर मिला कि बिहार शिक्षा सेवा नियम, 2014 23.11.2012 5 पर दिए गए फैसले के अनुरूप था।ऐसा इसलिए था क्योंकि सरकार ने 2014 के नियमों के तहत बी. ई. एस. (विलय की गई इकाई) में चार उप-संवर्गों की शुरुआत की थी, जो एक उप-संवर्ग से दूसरे उप-संवर्ग में स्थानांतरण को स्पष्ट रूप से रोकते थे।बी. एस. ई. एस. में उन लोगों

को शिक्षण उप-संवर्ग में रखा गया था, जहां प्राचार्य सर्वोच्च पदोन्नति पद होगा, जबकि बी. ई. एस. में उन लोगों को प्रशासनिक उप-संवर्ग में रखा गया था, जो पहले की तरह स्कूल प्रशासन को नियंत्रित करते रहेंगे।शिक्षण उप-संवर्ग को फिर से अलग कर दिया गया और इसे "मरने वाले संवर्ग" के रूप में भी माना गया।सरकार के इस अधिनियम के माध्यम से, बी. एस. ई. एस. में शामिल लोगों को प्रशासनिक उप-संवर्ग में स्थानांतरित और तैनात होने से प्रभावी रूप से रोका गया।स्पष्ट रूप से, नियम 27 ने अन्य उप-संवर्गों के सदस्यों को निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति पर एक अलग संवर्ग में शामिल करने का विकल्प दिया, लेकिन शिक्षण उप-संवर्ग को ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया था।

बी.

सी.

डी.

9. बी. एस. ई. एस. संवर्ग की तुलना में बी. एस. ई. एस. संवर्ग को समान लाभ से वंचित करने के उपरोक्त प्रयास को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि बिहार सरकार द्वारा 2014 के नियमों की घोषणा, विलय से पहले मौजूद स्थिति को बनाए रखने और बी. ई. एस. में शामिल लोगों के हितों की अन्यायपूर्ण रूप से रक्षा करने के लिए एक घुमावदार साजिश के बराबर है। तदनुसार, संयुक्त श्रेणीकरण सूची को पुनर्जीवित करने या विकल्प में, विलय के वास्तविक उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए नियम 27 में उपयुक्त संशोधन करने के निर्देश जारी किए गए थे।

ई.

वर्तमान सूची

10. वर्तमान अपील के तथ्यों पर अब ध्यान दिया जाना चाहिए।बिहार सरकार ने 1979 में 10+2 + 3 शिक्षा पैटर्न (यानी 10 साल की स्कूली शिक्षा, 2 साल के उच्च माध्यमिक और 3 साल के कॉलेज स्नातक) की शुरुआत की।प्रासंगिक समय में, पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अभाव में, कॉलेजों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी।+ 2 स्तर का शिक्षण प्रदान करने के लिए + 2 व्याख्याताओं के पद सृजित करने की मांग की गई थी।11. उपरोक्त निर्णय के अनुसार, बिहार सरकार सरकारी स्कूलों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन ग्रेड में व्याख्याताओं के 148 पदों और राष्ट्रीयकृत स्कूलों में व्याख्याताओं के 264 पदों पर एक लाख रुपये का सामान्य वेतनमान प्रदान करती है। 940-1660 के लिए

एफ.

जी.

4 (2014) 7 एस. सी. सी. 416

5 सुप्रा ए

एच.

1147

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा [हृषिकेश रॉय, जे।] ए.

दोनों श्रेणियों के व्याख्याता।इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में केवल + 2 व्याख्याताओं के पदों को बी. एस. ई. एस. चयन श्रेणी में निर्दिष्ट किया गया था।इसके बाद, बिहार स्कूल सेवा बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 1/87 जारी कर चयन की प्रक्रिया शुरू की।विज्ञापन, विशेष रूप से, निम्नलिखित को दर्शाता हैः-

“कक्षा-I:

बी.

+ 2 धारा (अंतर स्तर) सरकारी लड़कों/लड़कियों के उच्च विद्यालयों में अधीनस्थ सेवा श्रेणी में व्याख्याता।

****

****

****

शैक्षणिक योग्यताः

कैस-आई पोस्ट के लिएःकिसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री।

सी.

पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शिक्षा शाखा) के कक्षा-II और III पदों के लिएः

संबंधित विषय में प्रशिक्षित स्नातक।” (एसआईसी) * * * *

****

****

डी.

उम्मीदवारों को अधीनस्थ सेवा श्रेणी में व्याख्याता के पदों के लिए आवेदन करना था और पदों के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर निर्धारित विज्ञापन देना था।12. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जो दर्शाता है कि + 2 स्कूलों में

नव-निर्मित पूर्व-संवर्ग पदों पर नियुक्तियां तदर्थ और अस्थायी आधार पर की जा रही थीं।समय-समय पर जारी की जाने वाली विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं के तहत इन अस्थायी नियुक्तियों को अगले शैक्षणिक वर्षों के लिए जारी रखा गया था।13. वर्तमान मुकदमे का मुख्य कारण यह है कि विलय निर्णय (07.07.2006) को लागू करते समय, सरकार द्वारा 06.10.2006 पर एक अपवाद बनाया गया था, जिसके तहत, सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं को BES में विलय का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था।विचलन के लिए स्पष्ट आधार यह था कि + 2 व्याख्याताओं को कभी भी बी. एस. ई. एस. संवर्ग के हिस्से के रूप में माना या मान्यता नहीं दी गई थी।इस प्रकार पीड़ित + 2 व्याख्याताओं ने सी. डब्ल्यू. जे. सी. 14009/2006 और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि उनके पद बी. एस. ई. एस. में बनाए गए थे। यह स्थिति विज्ञापन संख्या 1/87 में भी दिखाई दी थी जिसके माध्यम से उनकी भर्ती की गई थी।वास्तव में, इन मामलों में बीईएस के साथ विलय के लाभों का दावा किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

14. उच्च न्यायालय में उपरोक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने बिहार गैर-सरकारी अधिनियम की धारा 15 सहपठित धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

एच.

माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 ने बिहार सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2009 (संक्षेप में 2009) बनाए।

नियम ") और विशेष रूप से बिहार टेकन ओवर सेकेंडरी में संशोधन करने का निर्णय लिया।

विद्यालय (सेवा शर्तें) नियम, 1983।2009 के माध्यम से

संशोधन, व्याख्याता को उन + 2 व्याख्याताओं के लिए परिभाषित किया गया था जिन्हें विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसार नियुक्त किया गया था और उन्हें राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ संलग्न किया गया था।

बी.

15. राष्ट्रीयकृत विद्यालय श्रेणी के शिक्षकों के साथ उपरोक्त जुड़ाव के परिणामस्वरूप, + 2 व्याख्याताओं द्वारा उच्च न्यायालय में और अधिक चुनौती उत्पन्न की गई।यह विशेष रूप से तर्क दिया गया था कि + 2 व्याख्याताओं को हमेशा राष्ट्रीयकृत स्कूलों में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से ऊपर माना गया है और इसलिए दो असमान लोगों को शामिल करना अन्यायपूर्ण है।

सी.

16. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसार नियुक्त किए गए + 2 व्याख्याता हमेशा बी. एस. ई. एस. का हिस्सा थे। इसके साथ ही, राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के साथ + 2 व्याख्याताओं का कृत्रिम समूह (अधिसूचना 23.06.2009 के माध्यम से), अनुचित और बाधित पाया गया।इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापन No.1/87 में विशेष रूप से अधीनस्थ शिक्षा सेवा का उल्लेख किया गया है।"प्लस टू सेकेंडरी स्कूलों" के अलावा, जहां व्याख्याता शिक्षा प्रदान कर रहे थे, बी. एस. ई. एस. के हिस्से के रूप में परिकल्पना की गई थी जैसा कि बिहार शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 790 से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।वर्तमान उत्तरदाताओं के पक्ष में राय देते हुए, न्यायालय ने सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या में न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय के पहले के फैसले (30.9.1997) पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रासंगिक समय पर सरकारी या राष्ट्रीयकृत स्कूलों में नियुक्ति संयोग से हुई थी और + 2 व्याख्याताओं के अधिकार किसी भी स्कूल में उनकी अवसर नियुक्ति पर निर्भर नहीं होंगे।डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि नियुक्ति पत्रों में पूर्व-संवर्ग के पदों का केवल उल्लेख और + 2 व्याख्याताओं को मुख्यधारा के शिक्षक के संवर्ग में शामिल करने में सरकार द्वारा निर्णय की कमी, उन्हें उनके वैध अधिकारों से वंचित नहीं करेगी।न्यायालय ने बिहार सरकार की अनिर्णायकता और उतार-चढ़ाव वाले रुख पर एक मंद दृष्टिकोण अपनाया जिसके कारण मुकदमों की झड़ी लग गई।इस प्रकार, उत्तरदाताओं को इस घोषणा के साथ राहत दी गई कि दोनों स्कूलों के + 2 व्याख्याता, जिन्हें विज्ञापन संख्या के तहत नियुक्त किया गया था। 1/87, हमेशा बी. एस. ई. एस. और इसके परिणामस्वरूप बी. ई. एस. का हिस्सा रहे हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

17. विवादित फैसले को चुनौती देते हुए, श्री पी. एस. पटवालिया, प्रमुख एसएलपी से उत्पन्न अपील में विद्वान वरिष्ठ वकील, ए की ओर से प्रस्तुत करते हैं

एच.

1149

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा [हृषिकेश रॉय, जे।] ए.

बिहार राज्य ने कहा कि नियुक्ति पत्रों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि + 2 व्याख्याताओं को पूर्व संवर्ग पदों पर नियुक्त किया गया था और उनके अलग संवर्ग गठन के संबंध में निर्णय जल्द ही लिया जाना था।इसके अलावा, 1977 में + 2 व्याख्याताओं के पद अस्तित्व में नहीं थे, जब बी. एस.

ई. एस. को बी. ई. एस. के साथ विलय करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था।श्री पटवालिया के अनुसार, एनकैडरमेंट बिहार गैर-सरकारी के अनुरूप है।

बी.

माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम,

1981 , चूंकि + 2 व्याख्याताओं की भर्ती स्कूल सेवा बोर्ड द्वारा की गई थी जो अधिनियम की धारा 10 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। अपीलार्थी की दलील यह है कि मुकदमेबाजी के पिछले दौर में, प्रत्यर्थियों ने केवल बी. एस. ई. एस. के सदस्यों के साथ वेतनमान समानता की मांग की थी और इस तरह, वर्तमान दौर में उच्च न्यायालय में रिट याचिका अत्यधिक देरी के अलावा रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।राज्य के वकील के अनुसार, विज्ञापन में बी. एस. ई. एस., चयन श्रेणी का संदर्भ केवल व्याख्याताओं के पद के लिए श्रेणी की पहचान करने के लिए किया गया था, लेकिन बी. एस. ई. एस. संवर्ग में उन्हें शामिल करने के उद्देश्य से नहीं।

सी.

डी.

18. दूसरी ओर, + 2 व्याख्याताओं (उत्तरदाताओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विनय नवारे का तर्क होगा कि दिनांकित नीति निर्णय की शर्तें 13.11.1985 के साथ-साथ विज्ञापन संख्या 1/87 स्पष्ट हैं और यह स्पष्ट रूप से निर्धारित विद्वान गया है कि सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं के पद बी. एस. ई. एस. के कनिष्ठ चयन ग्रेड में बनाए गए हैं। श्री नवारे के अनुसार, नियुक्ति आदेश में 'एक्स-कैडर' शब्द को केवल सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (बी. एस. ई. एस. के सदस्यों) में सहायक शिक्षकों की चिंता को दूर करने के लिए शामिल विद्वान गया था, जिन्होंने विलय के कारण + 2 व्याख्याताओं के लिए अपनी वरिष्ठता खोने की आशंका जताई थी।1981 का अधिनियम गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है और 1981 के अधिनियम के तहत बनाए गए 2009 के नियमों द्वारा शुरू की गई अधिसूचना, 1981 के अधिनियम में प्रासंगिक संशोधनों के बिना, सरकारी विद्यालयों के + 2 व्याख्याताओं को राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में शामिल करने के लिए, श्री नवारे द्वारा तर्क दिया जाता है कि यह न तो निर्णायक है और न ही कानूनी रूप से स्वीकार्य है।

ई.

एफ.

19. अपनी ओर से, हस्तक्षेप करने वालों यानी बिहार शिक्षा सेवा संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया का तर्क है कि बी. ई. एस. संघ के सदस्यों को अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से बी. ई. एस. संवर्ग में चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के विलय के कारण वरिष्ठता से वंचित नहीं होना चाहिए।यह बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-I और बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-II नियम 1973 की ओर इशारा करने और यह प्रस्तुत करने के अलावा है कि जब तक उचित

नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, न तो कार्यकारी कार्रवाई और न ही न्यायालय के आदेश एक रास्ता हो सकते हैं।

जी.

एच.

1150

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह मामला राज्य की नीति के दायरे में आता है।नियुक्तियों के पूर्व-कैडर होने के पहलू पर जोर दिया जाता है।

चर्चाएँ और निष्कर्ष

20. दिनांक 1 की अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि बी. एस. ई. एस. के संवर्ग में (सरकारी विद्यालयों में) + 2 व्याख्याताओं के पद सृजित किए गए थे। 940-1660-।राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में तैनात + 2 व्याख्याताओं के लिए संवर्ग उसमें निर्दिष्ट नहीं किया गया था, हालांकि पद एक ही वेतनमान में बनाए गए थे।बाद के विज्ञापन संख्या 1/87 में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं के लिए आवेदन बी. एस. ई. एस. संवर्ग में रु। 940-1660/-।जिन लोगों का चयन किया गया, उन्हें सरकारी या राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में आकस्मिक नियुक्ति दी गई।

बी.

सी.

21. यह कि बी. एस. ई. एस. संवर्ग में पदों का गठन किया गया था, सी. डब्ल्यू. जे. जे. सी. संख्या 2445/1994 में न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय द्वारा दिए गए निर्णय में पर्याप्त रूप से प्रबलित किया गया है, जिसके माध्यम से, दोनों श्रेणियों के + 2 व्याख्याताओं (सरकारी या अधिगृहीत विद्यालयों में तैनात) में कृत्रिम भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था।यह एक तथ्य है कि बिहार प्रदेश + 2 व्याख्याता संघ ने मुख्य रूप से सरकार में नियुक्त + 2 व्याख्याताओं के वेतनमान विसंगति के निवारण के लिए न्यायालय का रुख किया और सामान्य विज्ञापन संख्या 1/87 से स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया।उन कार्यवाहियों में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 वीं वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत व्याख्याताओं को अलग-अलग वेतनमान प्रदान किए। न्यायालय ने दोनों प्रकार के व्याख्याताओं के बीच भेदभाव को देखा, जो समान प्रकार की नौकरी और समान योग्यता के साथ समान कर्तव्य का पालन कर रहे थे।तदनुसार + 2 व्याख्याताओं को समान वेतनमान का हकदार ठहराया गया था, अर्थात रु। 2000-3500-जैसा कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (कनिष्ठ चयन ग्रेड) के सदस्यों के लिए तय किया गया है।इस तरह, न केवल वेतन अंतर को

समाप्त कर दिया गया, बल्कि इस मामले के लिए अधिक महत्वपूर्ण रूप से, सरकारी/राष्ट्रीयकृत + 2 स्कूलों में सेवारत व्याख्याताओं को बी. एस. ई. एस. सदस्यों के समान वेतनमान की पेशकश करके बी. एस. ई. एस. संवर्ग के सदस्यों के बराबर माना गया।इसके बाद, फैसले के अनुपालन में, वित्त विभाग ने रुपये के सामान्य वेतनमान को अधिसूचित किया। 2000-3500/- स्वीकृत विद्यालयों में + 2 व्याख्याताओं के लिए इसके संकल्प दिनांक 10.06.1999 के अनुसार, जिससे उन्हें प्रभावी रूप से अधीनस्थ शिक्षा सेवा शिक्षकों के बराबर माना जाता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

22. उपरोक्त स्थिति राज्य के इस तर्क को नकार देगी कि + 2 व्याख्याता बी. एस. ई. एस. संवर्ग से बाहर हैं, केवल इसलिए कि ए.

एच.

1151

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा [हृषिकेश रॉय, जे।] ए.

नियुक्ति पत्रों में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति अस्थायी आधार पर पूर्व संवर्ग के पदों के खिलाफ थी।उल्लेखनीय है कि नियुक्ति आदेश में उल्लिखित वेतनमान रु। 940-1660-, जो बी. एस. ई. एस. के कनिष्ठ चयन ग्रेड में व्याख्याताओं को दिए जाने वाले वेतनमान से मेल खाता है (जैसा कि अधिसूचना दिनांक 13.11.1985 और विज्ञापन संख्या 1/87 में परिलक्षित होता है)।

बी.

23. उपरोक्त से ध्यान देने योग्य बात यह है कि नियुक्ति पत्र अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भिन्न है, जैसे कि विज्ञापन; बी. एस. ई. एस. में पदों का सृजन करने वाली अधिसूचना (13.11.1985); साथ ही वित्त विभाग की अधिसूचनाएं, जो बी. एस. ई. एस. के सदस्यों के बराबर वेतनमान की पेशकश करती हैं। नियुक्ति पत्रों में, पद को एक्स-कैडर श्रेणी का होने का सुझाव देने के बावजूद, विशेष रूप से बी. एस. ई. एस. कैडर में सरकारी स्कूल के व्याख्याताओं के लिए समान वेतनमान की पेशकश की गई थी।इस पहलू पर उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि नियुक्ति पत्रों में पूर्व संवर्ग का उल्लेख केवल सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (बी. एस. ई. एस. के सदस्यों) में सहायक शिक्षकों की चिंता को दूर करने के लिए था, जिन्होंने अपनी वरिष्ठता खोने की आशंका जताई थी।ऐसी परिस्थितियों में, नियुक्ति पत्रों में पूर्व-संवर्ग संदर्भ, हमारे विचार में, उत्तरदाताओं की दलीलों का समर्थन करते हुए अन्य सभी समकालीन दस्तावेजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

सी.

डी.

24. राज्य के वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि सरन सिंह समिति की सिफारिशों को उत्तरदाताओं पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि + 2 व्याख्याताओं के पद 1977 में अस्तित्व में नहीं थे और केवल 1985 में बनाए गए थे।इस पर, यह देखा जाता है कि सरकार 1977 में मौजूद कुल पदों पर अस्पष्ट है; बाद में कितने पद बनाए गए और 07.07.2006 पर मौजूद पदों की सटीक संख्या।इसलिए, राज्य को इस तरह के विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब वे यह खुलासा करने में विफल रहे हैं कि शुरू में कितने पद मौजूद थे और किन चरणों में सरकार द्वारा अतिरिक्त पद बनाए गए थे।इसके अलावा, विलय निर्णय (07.07.2006) में विशेष रूप से यह कहने को छोड़ दिया गया कि केवल 1977 में मौजूद पदों का विलय करने का इरादा था।

ई.

एफ.

25. इसके अलावा, सरकारी निर्णय (06.10.2006), जिसके माध्यम से + 2 व्याख्याताओं को BES के साथ विलय के लाभ से वंचित कर दिया गया था, इस आधार पर स्थापित नहीं किया गया था कि 1977 में + 2 व्याख्याताओं के पद नहीं थे।जाहिरा तौर पर इसका कारण यह था कि बी. एस. ई. एस. में + 2 व्याख्याताओं को कभी मान्यता नहीं दी गई। सरकार द्वारा कारणों के पूरक के लिए इस तरह के प्रयास, जो उनके आदेश में नहीं पाए गए हैं, को कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है।हालत में

जी.

इस तरह का अनुपात मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव

एच.

आयुक्त, नई दिल्ली 6 यह याद रखने योग्य है कि जहां न्यायालय ने सही ढंग से घोषणा की थी कि एक सांविधिक पदाधिकारी द्वारा किसी आदेश की वैधता का निर्णय उसमें उल्लिखित कारणों से किया जाना चाहिए और शपथ पत्र के रूप में पूरक कारणों को बाहर रखा जाना चाहिए।

26. एक ही बिंदु के साथ रहते हुए, हम खुद को भी याद दिला सकते हैं

कॉमआर में कहने की राय।पुलिस, बॉम्बे बनाम गोरधनदास भंजी 7 जहाँ जे. विवियन बोस ने स्पष्ट रूप से लिखा हैः

बी.

"सार्वजनिक रूप से किए गए सार्वजनिक आदेशों का, एक वैधानिक प्राधिकरण के प्रयोग में, अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के प्रकाश में यह नहीं माना जा सकता है कि उनका क्या मतलब था, या उनके दिमाग में क्या था, या उनका क्या करने का इरादा था।सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और उनका उद्देश्य उन लोगों के कार्यों और आचरण को प्रभावित करना होता है जिन्हें वे संबोधित किए जाते हैं और आदेश में उपयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ रूप से इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।"

सी.

ऊपर से संकेत लेते हुए, यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि राज्य को अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब वे सरकारी निर्णय में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं।

डी.

27. अपीलार्थियों का दूसरा तर्क यह है कि बी. ई. एस. में एकीकरण को सक्षम करने के लिए + 2 व्याख्याताओं में बी. एस. ई. एस. के साथ समानता की कोई झलक नहीं है। केवल इस स्पष्ट कारण से, राष्ट्रीयकृत और सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं को राष्ट्रीयकृत स्कूलों के शिक्षकों के साथ मिलाया गया था, अधिसूचना दिनांक 23.06.2009 के माध्यम से।इस पर जो प्रासंगिक है वह यह है कि सरकारी स्कूलों में तैनात + 2 व्याख्याताओं और बी. एस. ई. एस. माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के बीच इस तरह के मनमाने वर्गीकरण को बनाए रखने के लिए राज्य के वकील द्वारा कोई स्पष्ट अंतर नहीं बताया जा सकता है।इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से इस तरह के तर्क को, किसी भी आधार से रहित होने के कारण, अस्वीकार माना जाता है।

ई.

एफ.

28. उल्लेखनीय है कि विज्ञापन 1/87 के अनुसार, न्यूनतम वेतनमान रु। बी. एस. ई. एस. संवर्ग के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को 850-1360/- की पेशकश की गई थी, जबकि + 2 व्याख्याताओं को वेतनमान की पेशकश की गई थी।इसके अलावा, + 2 व्याख्याताओं के लिए उसमें निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर थी, जबकि अन्य पदों के लिए, एक खाली स्नातक निर्धारित योग्यता को पूरा करेगा।इस प्रकार, बी. एस. ई. एस. संवर्ग से उत्तरदाताओं का बहिष्कार और परिणामस्वरूप

जी.

एच.

1153

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा [हृषिकेश रॉय, जे।] ए.

बी. ई. एस. से, बी. एस. ई. एस. के शिक्षक सदस्यों के रूप में समान सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में निरंतर सेवा प्रदान करने के बावजूद, एक भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें बी. एस. ई. एस. के शिक्षक जो सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में उत्तरदाताओं से कनिष्ठ (शिक्षा योग्यता और वेतनमान के मामले में) हैं, उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ मिला है और शिक्षा विभाग में प्रमुख नियंत्रक पदों पर पदोन्नति के अवसर भी मिले हैं।यह निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के तहत गारंटीकृत + 2 व्याख्याताओं के अधिकारों का उल्लंघन करेगा।

बी.

29. ऊपर देखी गई विसंगतिपूर्ण स्थिति को सुधारने के बजाय, सरकार ने मनमाने तरीके से और इस मुद्दे पर बिना किसी दिमाग के लागू किए, 23.06.2009 की अधिसूचना के माध्यम से, आश्चर्यजनक रूप से + 2 व्याख्याताओं को राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बराबर स्थान दिया।इसके लिए अस्वीकार्य औचित्य यह है कि राष्ट्रीयकृत स्कूल शिक्षकों के संवर्ग में + 2 व्याख्याताओं की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, + 2 व्याख्याताओं को प्रधानाध्यापक के शैक्षणिक पद के लिए पदोन्नति का अवसर प्रदान किया गया है, और उनके लिए उच्च स्तर का भी प्रावधान किया गया है।हालांकि, + 2 व्याख्याताओं को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो बीईएस संवर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध हैं।बी. ई. एस. अधिकारियों को विशेष रूप से प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कब्जा करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार की इस तरह की मनमानी कार्रवाई पर ध्यान दिया गया था और मुकदमेबाजी के पिछले दौर में अदालत की कठोर टिप्पणियों के अधीन किया गया था।उन्हें पढ़ने के बाद और राज्य द्वारा बी. ई. एस. संवर्ग के लोगों का अत्यधिक समर्थन करने के बार-बार किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि राज्य सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है और उत्तरदाताओं को अस्वीकार करने के अपने अन्यायपूर्ण प्रयास में बनी हुई है, जो वैध रूप से उनके कारण है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

30. उनके अन्यायपूर्ण आचरण को इंगित करने के लिए राज्य की निम्नलिखित भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर ध्यान देना आवश्यक है।सबसे पहले, बिहार गैर -

सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण में लिए गए और

प्रबंधन) अधिनियम, 1981, + 2 व्याख्याताओं की सेवा शर्तों के निर्धारण को अधिकृत नहीं करता है।1981 के अधिनियम का उद्देश्य बिहार राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सुधार, बेहतर संगठन और विकास के लिए राज्य नियंत्रण के तहत गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के "अधिग्रहण" का प्रावधान करना था।सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं को 'टेकन ओवर स्कूल्स' के शिक्षकों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि 1981 के अधिनियम में 'शिक्षक' की परिभाषा 'टेकन ओवर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक' को दर्शाती है।धारा 9 राज्य को सक्षम बनाती है

जी.

8 चर्चा सुप्रा नोट 4 देखें।

एच.

सरकार केवल अधिग्रहित माध्यमिक विद्यालयों (लेकिन सरकारी विद्यालयों की नहीं) के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करेगी।1981 के अधिनियम की न तो धारा 9 और न ही धारा 15 राज्य सरकार को अधिनियम के दायरे का विस्तार करने के लिए नियमों में संशोधन करने का अधिकार देती है। इस प्रकार, अधिसूचना (23.06.2009) को लागू करने वाले 2009 के नियम, जिन्हें 1981 के अधिनियम की धारा 15 सहपठित धारा 9 के तहत बनाया जाना है, 1981 के अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्य से भिन्न पाए गए हैं। अधिसूचना (23.06.2009) 1981 के अधिनियम के दायरे से बाहर है और इसलिए 1981 के अधिनियम में आवश्यक संशोधनों के बिना जारी नहीं की जा सकती थी।

बी.

31. इसके बाद, आइए हम वैध अपेक्षा के सिद्धांत के आधार पर सरकार की विवादित कार्रवाई का परीक्षण करें।अधिसूचना (23.06.2009) कानूनी रूप से असमर्थनीय होने के अलावा, बी. एस. ई. एस. संवर्ग में सरकारी स्कूलों के सदस्यों के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा पोषित मूल वैध अपेक्षाओं को भी नकार देगी।शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शाखा में नियंत्रक/पर्यवेक्षी पदों पर उत्तरदाताओं के लिए पदोन्नति के अवसरों के अभाव में इनकार विशेष रूप से स्पष्ट है।उत्तरदाता, + 2 व्याख्याताओं के रूप में अपनी सेवा के दौरान, सामान्य वरिष्ठता सूची में उनकी अंतर-वरिष्ठता के आधार पर विभाग में उच्च पद पर रहने की यथोचित उम्मीद करेंगे, लेकिन सरकार की कार्रवाई, राष्ट्रीयकृत स्कूलों के शिक्षकों के साथ + 2 व्याख्याताओं के कृत्रिम उप-समूह के माध्यम से आंदोलन को

प्रतिबंधित करना, उनकी अपेक्षा को अनुचित रूप से गलत साबित कर रहा है।यह सुझाव देगा कि उत्तरदाताओं को अपीलार्थियों द्वारा बगीचे के रास्ते पर ले जाया गया था।

सी.

डी.

ई.

32. इससे उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों को समझने के लिए, उपयोगी

आर. वी. अंतर्देशीय राजस्व आयुक्तों, पूर्व पक्ष एम. एफ. के. अंडरराइटिंग एजेंट्स लिमिटेड को संदर्भित किया जा सकता है। 9 (1989) जहाँ लॉर्ड जस्टिस

अपील के थॉमस बिंघम ने वैध अपेक्षाओं की रक्षा के लिए एक तर्क के रूप में निष्पक्षता का आह्वान करते हुए निम्नलिखित व्यक्त किया:-

एफ.

" यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण एक वैध अपेक्षा पैदा करने के लिए ऐसा आचरण करता है कि एक निश्चित मार्ग का पालन किया जाएगा, तो यह अक्सर अनुचित होगा यदि प्राधिकरण को उस व्यक्ति के नुकसान के लिए एक अलग मार्ग का पालन करने की अनुमति दी गई थी, जिसने अपेक्षा का मनोरंजन किया था, विशेष रूप से यदि उसने उस पर कार्रवाई की थी।..... वैध अपेक्षा का सिद्धांत निष्पक्षता में निहित है।"

जी.

33. वैध अपेक्षाओं को अस्वीकार करने का एक अन्य पहलू इंग्लैंड और वेल्स की अपील न्यायालय द्वारा कफलान 10 के मौलिक मामले में रेखांकित किया गया है, जहां न्यायालय ने शक्ति के दुरुपयोग का उपयोग करना पसंद किया था।

9 [1990] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1545

10 आर बनाम उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण पूर्व पी।कफलान, [2001] क्यूबी213 ए

एच.

1155

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. बनाम.श्यामा नंदन मिश्रा [हृषिकेश रॉय, जे।] ए.

यह परीक्षण करने के मानदंडों में से एक है कि क्या कोई सार्वजनिक निकाय प्रथम दृष्टया वैध अपेक्षा से पीछे हट सकता है।न्यायालय की राय में, यदि सरकारी प्राधिकरण एक ऐसी अपेक्षा को प्रेरित करता है जो ठोस थी, तो बाध्यकारी सार्वजनिक हित के अभाव में कार्रवाई के अपेक्षित पाठ्यक्रम से विचलन के माध्यम से उस अपेक्षा को परेशान करना इतना अनुचित होगा कि यह शक्ति का

दुरुपयोग होगा।वर्तमान मामले में, राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के साथ + 2 व्याख्याताओं को शामिल करने के राज्य के असमान निर्णय में शक्ति का दुरुपयोग स्पष्ट है, 1985 की अधिसूचना के माध्यम से विपरीत प्रतिनिधित्व के बावजूद, जिसने + 2 व्याख्याता पदों का निर्माण किया और 1987 के विज्ञापन के तहत, जिसके तहत उत्तरदाताओं ने सेवा में प्रवेश किया।प्रस्तावित मार्ग से इस तरह के स्पष्ट विचलन से मनमानेपन की गंध आती है और बीईएस कैडर के हितों की चुनिंदा रूप से रक्षा करने के लिए सरकारी कार्रवाई न्याय और निष्पक्ष खेल के नियमों के अनुरूप नहीं है।

बी.

सी.

34. ऊपर से संकेत लेते हुए, जहां मूल वैध अपेक्षा प्राधिकरण की शक्ति से परे नहीं है और न्यायालय इसकी रक्षा करने की स्थिति में है, राज्य को पाठ्यक्रम बदलने और उत्तरदाताओं की वैध अपेक्षा पर विश्वास करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जैसा कि सर्वविदित है, नियमितता, पूर्वानुमेयता, निश्चितता और निष्पक्षता सरकार की कार्रवाई के लिए आवश्यक सहवर्ती हैं और हमारी राय में बिहार सरकार विवादित निर्णय द्वारा अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने में विफल रही, जिसे हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से बाधित किया गया था।

डी.

35. विचार करने के लिए अगली बात इस कार्यवाही में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में बी. ई. एस. एसोसिएशन की याचिका और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया द्वारा उनकी ओर से की गई दलीलें हैं।इस पर पहला अवलोकन यह किया जाना चाहिए कि हस्तक्षेप करने वाले के अधिकार सीमित हैं।बी. ई. एस. खुद को उच्च न्यायालय में खड़ा कर सकता था, लेकिन अपने जोखिम पर दूर रहने का फैसला किया।प्रत्यर्थी की रिट याचिका उच्च न्यायालय में लगभग 6 वर्षों से लंबित थी और बी. ई. एस. में जो शिक्षा विभाग में प्रमुख पदों पर हैं, वे 2008 के सी. डब्ल्यू. जे. मामला संख्या 18793 और अन्य संबंधित मामलों से अनजान नहीं हो सकते थे।इस प्रकार, उनके लिए उपलब्ध सीमित दायरे के भीतर, हस्तक्षेप करने वाले, जो पूरे समय बाड़ पर बैठे थे, उन्हें अब इस न्यायालय के समक्ष पहली बार एक नया मामला दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामा हमें बी. ई. एस. संघ के सदस्यों के पक्ष में झुकने के लिए राजी नहीं करता है।

ई.

एफ.

जी.

36. पहले के दौर में, यह न्यायालय बिहार राज्य सरकार में थी। माध्यमिक

स्कूल टीचर्स एसोसिएशन। बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ। 11 और भी

11 सुप्रा

बिहार राज्य में वहाँ से बहने वाली अवमानना कार्यवाही में #36 #

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ। बनाम अशोक कुमार सिन्हा 12 आलोचनात्मक रूप से

बी. ई. एस. संघ द्वारा बी. ई. एस. के साथ बी. एस. ई. एस. के एकीकरण में बाधा डालने के जोरदार प्रयासों और बी. ई. एस. संवर्ग के लोगों के हितों की रक्षा में बिहार सरकार के अनुचित आचरण का उल्लेख किया।विलय के फैसले की उन पिछली चुनौतियों को न्यायालय ने खारिज कर दिया था।इस प्रकार बी. ई. एस. संघ को, पक्ष के रूप में, अब वह हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वे पिछले मुकदमों में हासिल करने में विफल रहे थे।इस तरह की परिस्थितियों में यह कहने की आवश्यकता है कि एक प्रतिकूल मुकदमे में, बाड़ लगाने वालों को बराबर नहीं रखा जा सकता है।

बी.

सामने के धावकों के साथ।

37. पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा निष्कर्ष है कि बी. एस. ई. एस. संवर्ग में + 2 व्याख्याताओं के पद बनाए गए थे।यह अधिसूचना (13.11.1985) में और विज्ञापन संख्या 1/87 में भी दर्शाया गया था।माध्यमिक विद्यालयों में बी. एस. ई. एस. शिक्षकों के साथ वेतनमान समानता प्रदान करने में सरकार का आचरण इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है।ये प्रासंगिक और उपस्थित परिस्थितियाँ नियुक्ति पत्रों में पूर्व-संवर्ग संदर्भ के निहितार्थ को ग्रहण करती हैं।यह भी स्पष्ट है कि दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से एनकैडरमेंट ने उत्तरदाताओं की वैध अपेक्षाओं को निराश कर दिया है और उत्तरदाताओं की प्रमुख पदों पर पदोन्नति को अवरुद्ध करने के अनुचित उद्देश्य से किया गया था, विशेष रूप से शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शाखा में।राज्य की कार्रवाई में इस तरह की अनुचितता को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।परिणामस्वरूप हम + 2 व्याख्याताओं के पक्ष में विवादित निर्णय में तर्क और निष्कर्ष के साथ अपनी मंजूरी दर्ज करते हैं कि वे वास्तव में अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्य हैं और राज्य सरकार को विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसार नियुक्त + 2 व्याख्याताओं को अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए और सभी सेवा लाभ अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्यों के रूप में उन्हें दिए जाने चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

38. तदनुसार, विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई उचित कारण नहीं देखा जाता है। अपीलें लागत पर किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी जाती हैं।हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय समाप्त हो गया है, इसलिए राज्य को उच्च न्यायालय के निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।

जी.

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

12 सुप्रा

एच.